विविध बैंक प्रकरण सं0 149/2019(RCMS : 2019/00268) एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड, शाखा श्रीगंगानगर (राज.) जरिए प्राधिकृत अधिकारी संजीव सेठी, एयू स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, रविन्द्र पथ शाखा, श्रीगंगानगर (राज.) बनाम 1. ठाकर राम पुत्र श्री शदुला राम निवासी वार्ड नं 3, अमर कॉलोनी, तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर 2. रेशमा देवी पत्नी श्री ठाकर राम निवासी वार्ड नं 3, अमर कॉलोनी, तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर 3. मगन सिंह राठौड पुत्र श्री कल्याण सिंह राठौडत्र निवासी 11 पी पतरोडा, तहसील अनूपगढ़, जिला श्रीगंगानगर

01.01.2020

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक की ओर से अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा, अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी एयू स्माल फाईनेंस बैंक लिमिटेड के अभिभाषक श्री भारत भूषण महेन्द्रा का कथन था कि उक्त प्रार्थी बैंक एयू स्माल फाईनेंस बैंक लिमिटेड द्वारा ऋणीयों ठाकर राम, रेशमा देवी एवं मगन सिंह को दिनांक 31.03.2017 को 8,00,000/– रूपये (अखरे रूपये आठ लाख मात्र) का ऋण स्वीकृत किया गया था और ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणी रेशमा देवी की अचल सम्पत्ति पट्टा नं. 87(क्षेत्रफल 152.78 वर्गगज), संकल्प संख्या 3, वार्ड नम्बर 3, चक 3 एसटीआर, घड़साना जिला श्रीगंगानगर प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। अप्रार्थीगण द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण अप्रार्थी का ऋण खाता दिनांक 31.12.2018 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) घोषित कर दिया गया। अप्रार्थीगण ऋणियों के नाम दिनांक 20.05.2019 को कुल 7,98,042/– रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है। अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 20.05.2019 को बकाया राशि एवं इसके बाद की ब्याज राशि व अन्य खर्चे जमा करवाने का जारी किया गया था एवं दो समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करवाया गया था, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण पर तामील हो चुकी है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा बैंक की बकाया राशि जमा नही करवाई गई है इसलिए अप्रार्थी ऋणी द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई अप्रार्थी ऋणी रेशमा देवी की

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

अचल सम्पत्ति पट्टा नं. 87(क्षेत्रफल 152.78 वर्गगज), संकल्प संख्या 3, वार्ड नम्बर 3, चक 3 एसटीआर, घड़साना जिला श्रीगंगानगर में स्थित है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण **ठाकर राम, रेशमा देवी एवं मगन सिंह को** 8,00,000/— (अखरे रूपये आठ लाख रूपये) की ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 31.03.2017 को प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणी रेशमा देवी की अचल सम्पत्ति पट्टा नं. 87(क्षेत्रफल 152.78 वर्गगज), संकल्प संख्या 3, वार्ड नम्बर 3, चक 3 एसटीआर, घड़साना जिला श्रीगंगानगर प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। अप्रार्थीगण द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किये जाने के कारण अप्रार्थीगण का ऋण खाता 31.12.2018 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) घोषित कर दिया गया। अप्रार्थीगण ऋणीयों के नाम से दिनांक 20.05.2019 को कुल 7,98,042/— रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त है। अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 20.05.2019 को बकाया राशि एवं इसके बाद की ब्याज राशि व अन्य खर्चे जमा करवाने का दिया गया था। उक्त धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा बैंक की बकाया राशि जमा नही करवाई गई और न ही कोई आपत्तियां या अभ्यावेदन पेश किया गया। इसलिए प्रार्थी बैंक द्वारा वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि अप्रार्थीगण ऋणीयों द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई ऋणी रेशमा देवी की अचल सम्पत्ति पट्टा नं. 87(क्षेत्रफल 152.78 वर्गगज), संकल्प संख्या 3, वार्ड नम्बर 3, चक 3 एसटीआर, घड़साना जिला श्रीगंगानगर में स्थित है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी कम्पनी को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त भूमि जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर होनी आवश्यक है।

चूंकि प्रार्थी बैंक द्वारा ऋणी रेशमा देवी की अचल सम्पत्ति पट्टा नं. 87 (क्षेत्रफल 152.78 वर्गगज), संकल्प संख्या 3, वार्ड नम्बर 3, चक 3 एसटीआर, घड़साना जिला श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा दिलाये जाने की प्रार्थना की गई है। उक्त सम्पत्ति निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता के क्षेत्राधिकार में स्थित है। जिसके सम्बन्ध में निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्यवाही करने के लिए सक्षम है।

जहां तक धारा 13(2) के जारी नोटिस 20.05.2019 की तामील का प्रश्न है, पत्रावली से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी बैंक द्वारा दिनांक 20.05.2019 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) का जारी नोटिस अप्रार्थीगण ऋणियों ठाकर राम, रेशमा देवी एवं मगन सिंह को रजिस्टर्ड नोटिस डाक से भिजवाये गये है। पोस्ट ऑफिस की रजिस्ट्रीयों की रसीदे शामिल है। प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण के धारा 13(2) के नोटिस इण्डियन एक्सप्रैस एवं दैनिक नवज्योति में दिनांक 30.06..2019 को प्रकाशित करवाये है,** जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण ऋणीयों एवं जमानतदार ने धारा 13(2) के नोटिस की तामील के बावजूद भी ऋण की समस्त बकाया राशि जमा नहीं करवाई है और न ही धारा 13(2) नोटिस पर कोई आपत्तियां या अभ्यावेदन पेश किया है। इसलिए बंधक रखी गई उक्त्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा को प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः प्रार्थी बैंक एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 27.11.2019 अन्तर्गत धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थीगण ऋणीयों द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

गई ऋणी रेशमा देवी की अचल सम्पत्ति पट्टा नं. 87(क्षेत्रफल 152.78 वर्गगज), संकल्प संख्या 3, वार्ड नम्बर 3, चक 3 एसटीआर, घड़साना जिला श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त सम्पत्तियों का कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई **जावे**। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 01.01.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर